



कार्यालय नगर निगम जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

फोन नं. नम्बर - 0141-5110694

क्रमांक:- एफ-६ () उपा.राज.(प्रथम) / होर्डिंग / ननिज / 2017/ २१६

ई-मेल :- dcudtjmc@gmail.com

दिनांक:- १२/१२/१७

नीलामी सूचना

नगर निगम जयपुर सीमा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर निम्न विवरण में उल्लेखित निर्मित यूनिपोल साईट 20x10 वर्गफुट, व सूची में अंकित चिह्नित स्थानों पर संवेदक द्वारा नई यूनिपोल विज्ञापन साईट लगाने व यूनिपोल विज्ञापन साईटों पर विज्ञापन करने एवं संधारण हेतु खुली नीलामी लाल कोठी मुख्यालय, कमरा नं. 122 होर्डिंग शाखा में की जायेंगी।

नीलामी दिनांक 26.12.2017 व 27.12.2017 को प्रातः 11:00 बजे से सायं 5.00 बजे तक की जावेगी, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	जोन का नाम	साईट संख्या	दिनांक	अमानता राशि
1	यूनिपोल- मोती झंगरी जोन, सिविल लाईन जोन, विद्याधर नगर जोन, मानसरोवर जोन, सांगानेर जोन, आगेर जोन, हवामहल जोन (पूर्व)	16'x8' वर्गफुट कुल - 66 30'x15' वर्गफुट कुल - 27	26.12.2017	16'X8' साईज के यूनिपोल के 15,000/- रु. (पन्द्रह हजार रु.) प्रति साईट 30'X15' साईज के यूनिपोल के 25,000/- रु. (पच्चीस हजार रु.) प्रति साईट
	निर्मित यूनिपोल साईट 20X10 वर्गफुट,	20'x10' वर्गफुट कुल - 4		निर्मित यूनिपोल साईट 20'X10 रुपये 20,000/- (बीस हजार रु.) प्रति
2	उपरोक्त में से शेष बची विज्ञापन साईट		27.12.2017	शेष विज्ञापन साईट्स की अमानता राशि उपरोक्तानुसार

नीलामी की प्रमुख शर्तें :-

- उपरोक्त यूनिपोल, निर्मित यूनिपोल साईट 20x10 वर्गफुट लाईसेन्स जारी अवधि से (एक वर्ष तथा दो वर्ष नवीनीकरण) के लिए नीलाम किये जावेंगे।
- इच्छुक बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व उपरोक्त विज्ञापन साईटों हेतु नगर निगम जयपुर द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार अमानता राशि नियम तभी देखी जाएगी।
- उच्चतम बोलीदाता फर्म को नीलामी की चौथाई राशि (1/4) तुरन्त मौके पर जमा करानी होगी।
- उपरोक्त विज्ञापन साईटों की संख्या में कमी या बढ़ोत्तरी की जा सकेंगी।
- नीलामी की अन्य शर्तें एवं उपरोक्त विज्ञापन साईट्स की जानकारी, नगर निगम जयपुर की वेबसाईट www.jaipur.mc.org एवं <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर देखी जा सकती है अथवा राजस्व अधिकारी (होर्डिंग्स), निगम मुख्यालय प्रथम तल, नई विल्डिंग, कमरा नम्बर 122/राजस्व शाखा (होर्डिंग) कमरा नं. 122 में कार्यदिवस समय में देखी जा सकती है एवं सूचना पट्ट निगम मुख्यालय पर भी देखी जा सकती है।
- नीलामी स्थल पर बोलीदाता के अतिरिक्त एक ही व्यक्ति साथ रह सकता है बोलीदाता को अपने पहचान पत्र की फोटोप्रति देनी होगी। बोलीदाता के साथ एक से अधिक व्यक्ति साथ नहीं रहेंगे।
- नीलामी स्थल पर बोलीदाता एवं उसका सहयोगी मोबाइल फोन नहीं रख सकेगा एवं मोबाइल का उपयोग नहीं करेगा।
- किसी भी नीलामी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार नगर निगम जयपुर को होगा।

उपायुक्त (राजस्व-प्रथम)
नगर निगम जयपुर

प्रतिलिपि :-

- जनसम्पर्क अधिकारी, नगर निगम जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त नीलामी सूचना को डी.पी.आर. के नियमों के अनुसार प्रमुख अंग्रेजी/हिन्दी राष्ट्रीय (दिल्ली-मुम्बई के समाचार पत्र) एवं राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन की व्यवस्था करें।
- प्रोद्वामर, नगर निगम जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त नीलामी सूचना को नगर निगम की वेबसाईट एवं पोर्टल पर प्रदर्शित करावे।

उपायुक्त (राजस्व-प्रथम)
नगर निगम जयपुर



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)


यूनिपोल साइज 16' X 8' एवं 30' X 15' पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की

लाईसेन्स की शर्त नीलामी : दिसम्बर 2017

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले यूनिपोल (विज्ञापन पट्ट पर्याप्त स्थलों) की नीलामी एवं लाईसेन्स की शर्त :-

- जोन क्षेत्र में स्थित यूनिपोल साइटों के लिए पृथक-पृथक साइटों के आधार पर बोली आमंत्रित की जायेगी एवं एक यूनिपोल रेक्वेचर पर एक तरफ ही विज्ञापन किया जायेगा।
- निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले 16'X8' फीट साइज के तथा 30'X15' फीट साइज के यूनिपोल साइटों की नीलामी एक वर्ष (01 जनवरी 2018 से 31 दिसम्बर 2018) तक के लिए की जावेगी। अनुज्ञापत्र यूनिपोल साइट की नीलामी नगर निगम द्वारा नीलामी के आधार पर निर्धारित लाईसेन्स फीस पर जारी किया जावेगा। स्वीकृत साइट की नीलामी नगर निगम द्वारा नीलामी एक वर्ष के लिए होगी। नवीनीकरण चाहने पर निर्धारित प्रक्रिया एवं विज्ञप्ति कार्यक्रम के अनुसार की जावेगी। नीलामी एक वर्ष के लिए होगी। निगम द्वारा लाईसेन्स शुल्क पर गत वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी। निगम द्वारा लाईसेन्स शुल्क पर गत वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
- प्रत्येक 16'X8' फीट साइज के यूनिपोल साइट के लिए रुपये 15,000/- (पन्द्रह हजार रुपये) तथा प्रत्येक 30'X15' फीट साइज के यूनिपोल साइट के लिए 25,000/- (पच्चीस हजार) रु. बतौर अमानता के रूप में नगर निगम कोष में रखा जावेगा। निगम द्वारा लाईसेन्स शुल्क पर गत वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी। असफल बोलीदाताओं को जमा अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जायेगी।
- नीलामी के पश्चात प्रत्येक साइट की स्वीकृत उच्चतम बोलीदाता को बोली छूटने के बाद एक चौथाई राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। इसमें असफल रहने पर उसके द्वारा जमा कराई गई राशि जब्त कर पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
- 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर यूनिपोल पर विज्ञापन करने का लाईसेन्स जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की जी.एस.टी. राशि का लाईसेन्स जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की जी.एस.टी. राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा जी.एस.टी. जमा की चालान की प्रति लाईसेन्स जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में बैंकर चैक/डीडी अथवा जी.एस.टी. जमा की चालान की प्रति लाईसेन्स जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 01 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 01 जनवरी 2020 से 31 दिसम्बर 2020 तक के नवीनीकरण लाईसेन्स दिनांक पूर्ण होने से दो माह अर्थात् 60 दिवस पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आगे वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के बैंकर चैक/डिमान्ड ड्राफ्ट के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा राशि की 25 प्रतिशत राशि के बैंकर चैक/डिमान्ड ड्राफ्ट के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की जी.एस.टी. राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा जी.एस.टी. जमा की चालान की प्रति लाईसेन्स जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी।
- साइट नीलामी किये जाने के पश्चात् यूनिपोल लगाने का दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। यूनिपोल लगाना या न लगाना नीलामी की राशि के भुगतान की पूर्व शर्त नहीं होगी। किसी विभाग के आपत्ति होने के कारण अथवा अन्य अड़चन होने के नीलामी की राशि के भुगतान की पूर्व शर्त नहीं होगी। किसी विभाग के आपत्ति होने पर संबंधित विभाग के आपत्ति होने का पत्र व उस पर विज्ञापन नहीं किया जा सकेगा। किसी विभाग के आपत्ति होने पर संबंधित विभाग के आपत्ति होने का पत्र व उस पर विज्ञापन नहीं किया जा सकेगा। निगम साइट लगाने में सहयोग करेगा एवं संबंधित फर्म द्वारा प्राप्त कर नगर निगम जयपुर को प्रस्तुत करना होगा। नगर निगम साइट लगाने में सहयोग करेगा एवं संबंधित फर्म द्वारा एसी साइट के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि किया जावेगा। अनुज्ञापत्र निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञापत्रधारी द्वारा ऐसी साइट के खर्च पर हटाये जाने की स्थिति में साइट से अनुज्ञापत्रधारी के यूनिपोल बिना किसी पूर्व सूचना के नगर निगम द्वारा हटाये जाने का अधिकार होगा।
- उच्चतम बोलीदाता द्वारा साइट की राशि शर्तानुसार निर्धारित समय पर जमा कराने पर बोलीदाता को साइट का अनुज्ञापत्र सूची में अंकित स्थल अनुसार साइट प्लान सहित जारी किया जा सकेगा।
- कोई बोलीदाता शर्तों की पालना किए बिना यूनिपोल नहीं लगायेगा। यूनिपोल अनुज्ञापत्रधारी द्वारा या उसके किसी व्यक्ति कोई बोलीदाता शर्तों की पालना किए बिना यूनिपोल नहीं लगायेगा। यूनिपोल नीलामी शर्तों/उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त जिसमें नौकर, अभिरक्ता आदि शामिल हैं। यूनिपोल नीलामी शर्तों/उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जावेगा। अनुज्ञापत्र निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञापत्रधारी द्वारा ऐसी साइट के खर्च पर हटाये जाने की स्थिति में साइट से अनुज्ञापत्रधारी के यूनिपोल बिना किसी पूर्व सूचना के नगर निगम द्वारा हटाये जाने का अधिकार होगा।
- लाईसेन्स अवधि समाप्ति तिथि को यूनिपोल सम्बन्धित फर्म/व्यक्ति द्वारा स्वयं के खर्च पर हटाये जायेगा अन्यथा लाईसेन्स अवधि समाप्ति तिथि के तुरन्त बाद निगम द्वारा हटावाने पर 16'X8' यूनिपोल के लिये रु. 30,000/- एवं 30'X15' के यूनिपोल के लिये रु. 60,000/- हर्जा-खर्च वसूल किया जायेगा एवं यदि यूनिपोल हटावाने की कार्यवाही में, यूनिपोल की आशिक या पूर्णक्षति होगी तो नगर निगम जयपुर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

10. यूनिपोल अनुज्ञापत्र के साथ जारी किये गये साइट प्लान के अनुसार नगर निगम जयपुर के प्रारूपकार की देखरेख में ही लगाया जावेगा जिसका प्रमाणीकरण प्रारूपकार द्वारा किया जायेगा। उनकी देखरेख के बिना एवं स्व: विवेक से सम्बन्धित फर्म द्वारा लगाये गये यूनिपोल को निगम द्वारा बिना पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा एवं जिसका हर्जा-खर्चा फर्म से वसूल किया जावेगा।
11. जयपुर के सौन्दर्यकरण एवं आधुनिकीकरण की दृष्टि से 16'X8' यूनिपोल का निर्माण निगम स्पेशिफिकेशन के अनुसार करना होगा एवं 30'X15' साईज के यूनिपोल लगाने से पूर्व डिजाइन एवं स्पेशिफिकेशन फर्म द्वारा MNIT से स्वीकृत कराकर स्वीकृति की प्रतिलिपि नगर निगम में पेश करनी होगी। इसी के अनुसार इनका संधारण (रख रखाव) किया जावेगा।
12. यूनिपोल पर अश्लील एवं आपत्तिजनक विज्ञापन को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा एवं बिजली कनेक्शन व बिल का भुगतान लाईसेन्स को वहन करना होगा।
13. बोलीदाता द्वारा नीलामी में लिये गये प्रत्येक यूनिपोल पर अपनी फर्म का नाम एवं विज्ञापन पट्ट, साइट नम्बर, पट्ट पर स्पष्ट तथा दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करनी होगी। ऐसा न करने पर यूनिपोल बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा एवं लेबर चार्ज अनुज्ञापत्रधारी से वसूल किया जावेगा। यदि हटाते समय यूनिपोल फिक्सचर की आंशिक या पूर्ण क्षर्ति होगी तो नगर निगम जयपुर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी।
14. अनुज्ञापत्रधारी का यह दायित्व होगा कि वह यूनिपोल को मजबूती से स्थापित करे ताकि किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तूफान आदि की स्थिति में यूनिपोल नीचे नहीं गिरे। अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि यूनिपोल की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। स्वीकृत साइट पर अन्य किसी के द्वारा विज्ञापन करने की जिम्मेदारी लाईसेन्सधारी की होगी। यूनिपोल गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की स्वयं की होगी। नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
15. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधिया 2008 के प्रावधानों तथा राज्य सरकार/सक्षम अधिकारी/जयपुर नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों की पालना करेंगे।
16. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापत्र अधिकारी (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील आयुक्त, नगर निगम जयपुर को हो सकेगी।
17. किसी प्राकृतिक आपदा से यदि अनुज्ञापत्रधारी के यूनिपोल मुड़कर मार्ग में गिरकर अवरोध पैदा करते हैं तो उन्हें सूचना के दो घंटे के अंदर नियमानुसार खड़ा करने की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की होगी अन्यथा नगर निगम उस पर अपना कब्जा कर सकेगी।
18. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
19. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, उपायुक्त (राजस्व) (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं जमा राशि जब्त की जा सकेगी तथा अनुज्ञापत्रधारी की साइट/साइट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।
20. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय हैं अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेंसी को ही करना होगा। जिसे निर्धारित अवधि में आवश्यक रूप से जमा कराना होगा तथा पेनल्टी एवं ब्याज की राशि लाईसेंसधारी द्वारा जमा कराई जावेगी।
21. नीलामी में लिए गये किसी भी विज्ञापन पट्ट के विरुद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से नगरपालिका अधिनियम-2009 एवं राजस्वान् भू-राजस्व अधिनियम-1959 या पी.डी.आर. के तहत वसूल की जा सकेगी।
22. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन समस्त अनुज्ञापत्रधारियों को मान्य होगा।
23. इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व साइट स्थल एवं शर्तों का अवलोकन कर लेवें सरकारी बाधा के अलावा अन्य स्थिति अथवा अन्य किसी भी कारण से जमा करावाई गई राशि नगर निगम जयपुर द्वारा नहीं लौटाई जायेगी।
24. यदि किसी च्यायालय के निर्देश के अधीन/जनहित या पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधा होने पर किसी साइट को हटाना या शिफ्ट करना पड़े तो ऐसा लाईसेंसधारी को निर्देशानुसार स्वयं के खर्च पर करना होगा।
25. अगर कोई यूनिपोल जनहित में हटाना आवश्यक होगा या यातायात में बाधक होगा या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
26. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय में होगा।
27. सभी यूनिपोल सिलवर रंग के होंगे जिनको सही हालत में रखना होगा एवं साइट पर फर्म का नाम एवं साइट संख्या लिखना अनिवार्य होगा।
28. लाईसेंस की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।


लाईसेंसिंग ऑथोरिटी एवं उपायुक्त (राजस्व-प्रथम)
नगर निगम जयपुर



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

**20'x10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की
लाईसेन्स की शर्तें नीलामी : दिसम्बर 2017**

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर लगे हुए 20X10 वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल (विज्ञापन पट्ट पर्याप्त स्थलों) की नीलामी एवं लाईसेन्स की शर्तें :-

1. सार्वजनिक स्थलों पर लगे हुए 20'x10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल साइटों के लिए नीलामी सूची अनुसार पृथक-पृथक साइटों के आधार पर बोली आमंत्रित की जायेगी।
2. निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए 20'x10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल साइटों की नीलामी एक वर्ष (01 जनवरी 2018 से 31 दिसम्बर 2018) तक के लिए की जायेगी। अनुज्ञापत्र नीलामी के आधार पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार की जायेगी। नीलामी एक वर्ष के लिए होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेन्स शुल्क पर गत वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
3. सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए 20'x10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल पर निर्धारित स्थान पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेन्सी को विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अंतर्गत अधिकार होगा। 20'x10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल में निर्धारित विज्ञापन स्थल पर ही विज्ञापन किया जा सकेगा।
4. प्रत्येक 20'x10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल के लिए रुपये 20,000/- (बीस हजार रुपये) बतौर अमानता के रूप में नगद या डीडी निगम में जमा कराने होंगे। उच्चतम बोलीदाता को 1/4 राशि मौके पर तुरन्त जमा करवानी होगी एवं अमानता राशि लाईसेंस अवधि समाप्ति होने के बाद लौटाई जायेगी व उच्चतम बोलीदाता के अलावा शेष बोलीदाताओं की जमा अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जायेगी।
5. नीलामी के पश्चात प्रत्येक साइट की स्वीकृत उच्चतम बोलीदाता को बोली छूटने के बाद एक चौथाई राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। इसमें असफल रहने पर उसके द्वारा जमा कराई गई राशि जब्त कर पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
6. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर 20X10 वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जायेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की जी.एस.टी. राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा जी.एस.टी. जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। आगामी (वर्ष 01 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019) के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह अर्थात् 60 दिवस पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के बैंकर चैक/डिमान्ड ड्राफ्ट के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की जी.एस.टी. राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा जी.एस.टी. जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। इस प्रकार वर्ष (01 जनवरी 2020 से 31 दिसम्बर 2020) तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की जी.एस.टी. राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा जी.एस.टी. जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जायेगी।
7. 20'x10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल अनुज्ञापत्रधारी द्वारा (या उसके किसी व्यक्ति जिसमें नौकर, अभिकर्ता आदि शामिल हैं) 20'x10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल नीलामी शर्तों/उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जायेगा। अनुज्ञापत्र निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञापत्रधारी द्वारा ऐसी साइट के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि नगर निगम जयपुर के पक्ष में जब्त की जायेगी। अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में साइट से अनुज्ञापत्रधारी के 20'x10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल पर प्रदर्शित विज्ञापन को बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा।
8. 20X10 वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल पर अश्लील एवं आपत्तिजनक विज्ञापन को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा।
9. बोलीदाता द्वारा नीलामी में लिये गये प्रत्येक 20'x10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल पर सिल्वर रंग के होंगे, जिनको सही हालत में रखना होगा। एवं प्रत्येक 20'x10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल पर अपनी फर्म का नाम एवं विज्ञापन पट्ट, साइट नम्बर, पट्ट पर स्पष्ट तथा दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करनी होगी। ऐसा न करने पर 20'x10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल पर प्रदर्शित विज्ञापन को बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा।

10. अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि यूनिपोल की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। स्वीकृत साइट पर अन्य किसी के द्वारा विज्ञापन करने की जिम्मेदारी लाईसेन्सधारी की होगी। किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तूफान आदि की स्थिति में $20' \times 10'$ वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल नीचे नहीं गिरे। $20' \times 10'$ वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की स्वयं की होगी। नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
11. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के प्रावधानों तथा राज्य सरकार/सक्षम अधिकारी/जयपुर नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों की पालना करेंगे।
12. लाईसेन्स अवधि में $20' \times 10'$ वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल की पूर्ण देखरेख व रखरखाव लाईसेन्सी की होगी। $20' \times 10'$ वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल विज्ञापन हेतु निगम द्वारा जहां है जैसी स्थिती में है की शर्त पर नीलाम किया जा रहा है। विज्ञापन के दौरान यदि किसी $20' \times 10'$ वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल में किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाईसेन्सी द्वारा ही स्वयं के खर्च पर ठीक करवाना होगा। $20' \times 10'$ वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल का स्ट्रेक्चर दुरुस्त हालत में रंग रोगन किया हुआ रखने का दायित्व लाईसेन्सी का होगा। $20' \times 10'$ वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल का सामना चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेन्सी की होगी।
13. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील आयुक्त, नगर निगम जयपुर को हो सकेगी।
14. किसी प्राकृतिक आपदा से यदि अनुज्ञापत्रधारी के $20' \times 10'$ वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल मुड़कर मार्ग में गिरकर अवरोध पैदा करते हैं तो उन्हें सूचना के दो घंटे के अंदर नियमानुसार पुनः लगाने की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की होगी।
15. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
16. बिजली कनेक्शन व बिल का भुगतान एवं अन्य खर्च लाईसेन्सी को वहन करना होगा।
17. नीलामी में लिए गये किसी भी विज्ञापन पट्ट के विरुद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से नगरपालिका अधिनियम-2009 एवं राजरथान भू-राजस्व अधिनियम-1959 या पी.डी.आर. के तहत वसूल की जा सकेगी।
18. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन समस्त अनुज्ञापत्रधारियों को मान्य होगा।
19. इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व साइट स्थल एवं शर्तों का अवलोकन कर लेवें सरकारी बाधा के अलावा अन्य स्थिति अथवा अन्य किसी भी कारण से जमा करवाई गई राशि नगर निगम जयपुर द्वारा नहीं लौटाई जायेगी।
20. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन/जनहित या पुलिस अधीक्षक ट्रिफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधा होने पर किसी $20' \times 10'$ वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल साइट को हटाना या शिफ्ट करना पड़े तो ऐसा लाईसेन्सधारी को निर्देशानुसार स्वयं के खर्च पर करना होगा। प्रतिवंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
21. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेन्सी को निर्धारित अवधि में ही करना होगा।
22. अमानता राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद शर्तों की पूर्ण पालना ($20' \times 10'$ वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल सही हालत में) होने पर लाईसेन्सी को लौटाई जायेगी। शर्तों की पालना नहीं होने पर अमानता राशि जब्त की जा सकेगी।
23. लाईसेंस समाप्ति पर $20' \times 10'$ वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल नगर निगम जयपुर को संभलवाने होंगे, उन पर किये गये सम्पूर्ण विज्ञापनों को साफ करवाकर/हटवाकर सही हालत में लाईसेंस समाप्ति पर नगर निगम जयपुर को संभलानी होगी तथा $20' \times 10'$ वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल के चोरी हो जाने, टूट जाने, नष्ट होने पर $20' \times 10'$ वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल अनुज्ञापत्रधारी को बनाकर सुपुर्द करनी होगी अन्यथा उस समय की बाजार दर से $20' \times 10'$ वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल का नगर निगम को भूगतान करना होगा।
24. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, उपायुक्त (राजस्व) (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं जमा राशि जब्त की जा सकेगी तथा अनुज्ञापत्रधारी की साइट/साइट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।
25. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय में होगा।
26. लाईसेन्स की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।

लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी एवं उपायुक्त (राजस्व-प्रथम)
नगर निगम जयपुर

यूनिपोल साईट
मोतीझूंगरी जोन दिसम्बर 2017
नीलामी की सूची

1	MDZ-03	16x8	टोंक रोड़, अशोक मार्ग तिराहा, एम.जी.डी.स्कूल की दीवार के पास बने रस्तीप लाईन के कोने पर साईट सं. 2 के पास दीवार के समानान्तर।
2	MDZ- 33	16x8	मालवीय नगर, अपेक्ष सर्किल के उत्तरी-पश्चिमी कोने पर केलगिरी की ओर से, वि.प.न.2।
3	MDZ- 36	16x8	मालवीय नगर, अपेक्ष सर्किल के उत्तरी-पूर्वी कोने पर फुटपाथ के समानान्तर।
4	MDZ- 44	16x8	राजापार्क, पंचवटी सर्किल सरकारी स्कूल की दीवार के समानान्तर फुटपाथ पर।
5	MDZ-46	16x8	गोविन्द मार्ग, धर्मसिंह सर्किल से पहले पार्क के कोने पर
6	MDZ-47	16x8	मोतीझूंगरी रोड़, धर्मसिंह सर्किल पर, दक्षिणी-पूर्वी कोने पर फुटपाथ पर दीवार के सहारे, गोविन्द मार्ग की ओर से समानान्तर, वि.प.न.1।
7	MDZ- 59	16x8	जे.एल.एन. मार्ग, मालवीय नगर पुलिया से पहले, एम.एन.आई.टी. की कम्पाउण्ड की दीवार के समानान्तर, मालवीय नगर की ओर से वि.प.न. 1
8	MDZ- 64	16x8	एम.आई.रोड़, रंगमंच के गेट के सामने, रामनिवास बाग की दीवार के समानान्तर।
9	MDZ-66	16x8	एम.आई.रोड़ सरावगी मेन्शन के सामने, रामनिवास बाग की दीवार के समानान्तर
10	MDZ-68	16x8	टोंक रोड़, रिजर्व बैंक के पास, तख्तेशाही रोड़ के उत्तरी कोने पर।
11	MDZ- 84	30x15	जे.एल.एन. मार्ग, मुकबधिर स्कूल के दक्षिणी गेट के पास।
12	MDZ- 87	30x15	जगतपुरा आरओबी के पास, रेलवे फ्लैट के सामने, निर्माणाधीन मंगलम बाजार के कोने पर जगतपुरा देखते हुये।

13	MDZ- 91	30X15	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, सी.टी.पी. कार्यालय के पास, बसशैल्टर के दक्षिणी ओर।	NEW SITE
14	MDZ- 92	30X15	झालाना बाईपास रोड़, केन्द्रीय विद्यालय नं. 3 के बाहर फुटपाथ पर।	NEW SITE
15	MDZ- 93	30X15	झालाना बाईपास रोड़, झालाना शमशान घाट, के बाहर फुटपाथ पर।	NEW SITE
16	MDZ- 94	30X15	जे.एल.एन. मार्ग, गांधी सर्किल, पुलिस आयुक्त (पूर्व) कार्यालय के पास फुटपाथ पर।	NEW SITE
17	MDZ- 95	30X15	जगतपुरा मालवीय नगर रोड़, अण्डरपास अंजनी केफे के सामने।	NEW SITE
18	MDZ- 96	30X15	टोंक रोड़, सौम्य मार्ग के कोने पर आईलैण्ड पर।	NEW SITE
19	MDZ- 97	16X8	टोंक रोड़ रामबाग चौराहे के पूर्वी-दक्षिणी ओर पीसीजे ज्वैलर्स के बाहर फुटपाथ पर।	NEW SITE

यूनिपोल साईट
विद्याधर नगर जोन दिसम्बर 2017
नीलामी की सूची

1	VDZ-08	16X8	झोटवाड़ा रोड़, सुभाष नगर जाने वाले रोड़ के पूर्वी कोने पर सुभाष नगर की ओर से वि.प.न. 2।	
2	VDZ-11	16X8	शास्त्री नगर कावंटिया सर्किल के दक्षिणी पूर्वी कोने के फुटपाथ पर वि.प.नं. 1।	
3	VDZ- 18	16X8	विद्याधर नगर फन सिनेमा वाली रोड़ पर दानाशिवम हॉस्पिटल के पास।	
4	VDZ- 20	16X8	विद्याधर नगर, माहेश्वरी गल्फ स्कूल के पास, गणपति टॉवर के तिराहे के टी-पोईट पर दक्षिणी ओर फुटपाथ पर समानांतर वि.प.न. 1।	
5	VDZ- 21	16X8	विद्याधर नगर, माहेश्वरी गल्फ स्कूल के पास, गणपति टॉवर के तिराहे के टी-पोईट पर दक्षिणी ओर फुटपाथ पर समानांतर वि.प.न. 2।	
6	VDZ- 23	16X8	विद्याधर नगर,, माहेश्वरी गल्फ स्कूल के पास, गणपति टॉवर के तिराहे पर, उत्तर-पूर्व बने पार्क के कोने पर फुटपाथ के समानांतर वि.प.न. 1।	
7	VDZ- 40	16X8	झोटवाड़ा रोड़, पानीपेच तिराहे पर उत्तरी ओर कच्ची बस्ती के कोने पर समानान्तर।	
8	VDZ- 42	16X8	कलेकट्री सर्किल, होटल जयपुर अशोक की दीवार के समानांतर जयसिंह हाईवे की ओर।	
9	VDZ- 44	16X8	कलेकट्री सर्किल, कबीर मार्ग के कोने पर, दीवार के समानान्तर।	
10	VDZ- 51	16X8	विद्याधर नगर, माहेश्वरी गल्फ स्कूल के आगे फन सिनेमा जाने वाले तिराहे के पश्चिमी-उत्तरी कोने के फुटपाथ पर।	
11	VDZ- 52	16X8	विद्याधर नगर रोड़, सिने स्टार चौराहे के पूर्वी-उत्तरी कोने के फुटपाथ पर।	
12	VDZ- 53	16X8	विद्याधर नगर रोड़, सिने स्टार चौराहे के पूर्वी-दक्षिणी कोने के फुटपाथ पर।	
13	VDZ- 56	30X15	पानीपेच तिराहा, झोटवाड़ा रोड़, अकादमी हाउस की दीवार के पास।	

14	VDZ- 61	30X15	स्टेशन रोड, बलिंगटन सेन्टर के सामने, खासाकोठी चौराहा, मेट्रो पिल्लर के पास फुटपाथ पर।	NEW SITE
15	VDZ- 62	16X8	स्टेशन रोड, जनाना अस्पताल के गेट के पास।	NEW SITE
16	VDZ- 63	16X8	झोटवाड़ा रोड, आईनोक्स सीटी प्लाजा के दोनों गेटों के मध्य फुटपाथ पर।	NEW SITE
17	VDZ- 64	16X8	झोटवाड़ा रोड, ट्राईटन मॉल के पास, भवानी निकेतन स्कूल के दक्षिणी गेट के पास फुटपाथ पर।	NEW SITE
18	VDZ- 65	16X8	कालवाड़ रोड, शहीद मंगेज सिंह पेट्रौल पम्प के पास न्यू ओ.पी. टेलर्स दुकान की दीवार के समानान्तर।	NEW SITE

यूनिपोल साईट
सिविल लाईन जोन दिसम्बर 2017
नीलामी की सूची

1	CLZ- 07	16X8	सहकार मार्ग लक्ष्मी मंदिर के आगे, होटल जयपुर पैलेस के सामने, गैस गोदाम की ओर फुटपाथ पर, टोंक रोड देखते हुये।	
2	CLZ- 12	16X8	सहकार मार्ग, तेल भवन की दीवार के पास, सहकार भवन देखते हुये।	
3	CLZ- 41	16X8	सरदार पटेल मार्ग, गोर्वमेन्ट प्रेस सर्किल एम.ई.एस. की दीवार के सहारे, फुटपाथ पर समानांतर	
4	CLZ- 58	16X8	वैशाली नगर नर्सरी सर्किल के उत्तरी कोने पर समानांतर सर्किल देखते हुये, आम्रपाली सर्किल की ओर से वि. प.नं. 2।	
5	CLZ- 59	16X8	वैशाली नगर नर्सरी सर्किल के पास, नेशनल हैण्डलूम के सामने फुटपाथ पर समानांतर।	
6	CLZ- 63	16X8	हवा सड़क, गीजगढ़ हाउस के आगे नन्दपुरी तिराहे के कोने पर फुटपाथ पर।	
7	CLZ- 88	16X8	महावीर मार्ग, महर्षि दाधीच सर्किल पर फुटपाथ पर।	
8	CLZ- 90	16X8	टोंक रोड फल मण्डी रोड, नेहरू पैलेस के दक्षिणी कोने पर फुटपाथ पर समानांतर।	
9	CLZ- 93	16X8	एम.आई.रोड, आकाशवाणी की दीवार के समानांतर फुटपाथ पर।	
10	CLZ- 94	16X8	कर्वींस रोड, झारखंड महादेव तिराहे, पेट्रोल पंप के सामने, मिलकट्री दीवार के समानांतर फुटपाथ पर।	
11	CLZ-107	30X15	परिवहन मार्ग हसनपुरा पुलिया आरओबी के पास परिवहन मार्ग की ओर बने फुटपाथ पर हसनपुरा देखते हुये।	

12	CLZ-110	30x15	सरदार पटेल मार्ग, चौमूं हाउस प्लाट नं. ए-7 के बाहर।	NEW SITE
13	CLZ-111	16x8	अजमेर रोड़, प्रिंस रोड़ के सामने, डॉ गहलोत के बंगले के पास बने भवन के बाहर फुटपाथ पर।	NEW SITE
14	CLZ-112	16x8	पृथ्वीराज रोड़, बगड़ीया भवन चौराहा।	NEW SITE
15	CLZ-113	16x8	अजमेर रोड़ चर्च रोड़ कॉर्नर चेतना ट्रेडर्स प्रा.लि. कार्यालय के गेट के पास, फुटपाथ पर।	NEW SITE
16	CLZ-114	16x8	खातीपुरा रोड़ हटवाड़ा रोड़ तिराहा, एन.बी.सी. दीवार के पास।	NEW SITE
17	CLZ-115	16x8	खातीपुरा रोड़ (एन.बी.सी. रोड़), जल भवन कार्यालय के गेट के पास।	NEW SITE
18	CLZ-116	16x8	सिरसी रोड़, पांच्यावाला सैमसेन शोप के पास फुटपाथ पर।	NEW SITE
19	CLZ-117	16x8	सिरसी रोड़, पांच्यावाला एम.डी. हार्डवेयर के पास फुटपाथ पर।	NEW SITE

यूनिपोल साईट
मानसरोवर जोन दिसम्बर 2017
नीलामी की सूची

1	MSZ-05	16x8	मानसरोवर शिप्रापथ पर मोहननगर पुलिया जाने वाले रास्ते के तिराहे के टी-पोईट पर गोपालपुरा देखते हुये, समानांतर वि.प.नं.2।	
2	MSZ-07	16x8	मानसरोवर वीर तेजाजी रोड मध्यम मार्ग चौराहे के उत्तरी-पूर्वी कोने पर चौराहा देखते हुये।	
3	MSZ-08	16x8	मानसरोवर वीर तेजाजी रोड मध्यम मार्ग चौराहा पर ही पूर्वी कोने पर चौराहा देखते हुये।	
4	MSZ-09	16x8	मानसरोवर वीर तेजाजी रोड मध्यम मार्ग चौराहे के दक्षिणी-पश्चिमी कोने पर चौराहा देखते हुये।	
5	MSZ-21	16x8	टोंक रोड से गोपालपुरा बाईपास रोड रेलवे आरओबी से पहले दाँयी ओर फुटपाथ पर।	
6	MSZ-22	16x8	गोपालपुरा बाईपास, महेश नगर जाने वाले रास्ते के कोने पर।	
7	MSZ-34	16x8	मानसरोवर शिप्रापथ पर कपिल ज्ञान पीठ स्कूल से पहले पश्चिमी ओर मेट्रो की दीवार के पास।	
8	MSZ-36	16x8	मानसरोवर शिप्रापथ पर मोहन नगर पुलिया जाने वाले रास्ते के तिराहे के टी-पाईट पर गोपालपुरा रोड देखते हुये समानांतर वि.प.न. 3।	
9	MSZ-40	16x8	गोपालपुरा बाईपास गोपालपुरा रेलवे पुलिया से पहले रिद्धी-सिद्धी की तरफ सरकारी स्कूल के फुटपाथ पर।	
10	MSZ-46	30x15	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के सामने, पश्चिम की ओर।	
11	MSZ-49	30x15	टोंक रोड, आश्रम मार्ग के उत्तरी-कोने पर फुटपाथ पर।	
12	MSZ-54	16x8	शिप्रापथ मोहननगर पुलिया आने वाले रास्ते के टी-पोईट पर साईट सं. MSZ-04 के पास एस.एफ.एस की ओर।	
13	MSZ-58	30x15	हिम्मत नगर आरओबी के पास।	

14	MSZ-69	16x8	मालवीय नगर गौरव टॉवर के सामने निर्माणाधीन बिल्डिंग प्लाट नं. 20-22, 42-45 कल्याण कॉलोनी के कोने पर।	NEW SITE
15	MSZ-70	16x8	मालवीय नगर क्रिस्टल कोट मॉल के सामने सीटी सेंटर के गेट के पास।	NEW SITE
16	MSZ-71	30x15	गोपालपुरा बाईपास रोड, गुर्जर की थड़ी, मानसरोवर की ओर एस.एम. 1 के बाहर।	NEW SITE
17	MSZ-72	30x15	टॉक रोड, गांधीनगर रेलवे स्टेशन जाने वाले रास्ते के दक्षिणी तरफ पेड़ के पास, गोपालपुरा पुलिया देखता हुआ।	NEW SITE
18	MSZ-73	30x15	टॉक रोड, गांधीनगर रेलवे स्टेशन जाने वाले रास्ते के दक्षिणी तरफ फुटपाथ पर टॉक पुलिया देखते हुये।	NEW SITE
19	MSZ-74	30x15	च्यू सांगानेर रोड द्वारका पथ मानसरोवर बी-2 बाईपास तिराहा के पश्चिम के फुटपाथ पर।	NEW SITE
20	MSZ-75	30x15	टॉक रोड बी-2 बाईपास चौराहा दक्षिणी-पूर्वी और शमशान घाट की दीवार के पास।	NEW SITE
21	MSZ-76	30x15	जनपथ, श्याम नगर तिराहा पर खाली भूखण्ड के बाहर, श्याम नगर देखता हुआ।	NEW SITE

यूनिपोल साईट
सांगानेर जॉन दिसम्बर 2017
नीलामी की सूची

1	SNZ-42	16X8	टॉक रोड़, सीतापुरा EPIP को जाने वाले रास्ते के उत्तरी कोने पर टॉक रोड़ की ओर से वि.प.न.1।	
2	SNZ-44	16X8	टॉक रोड़, सीतापुरा EPIP को जाने वाले रास्ते के दक्षिणी कोने पर टॉक रोड़ की ओर से वि.प.न.1।	
3	SNZ-53	16X8	टॉक रोड़, सांगानेर पुलिया के आगे नीरजा सरस पार्लर के सामने बने शिव मंदिर की दीवार के समानांतर फुटपाथ पर पुलिया देखते हुये।	
4	SNZ-57	30X15	सांगानेर रोड़, मानसरोवर आरोबी के पास आरोबी के पूर्वी ओर आरोबी रेलवे लाईन के पास बने प्लाट नं. A-1 के पास।	
5	SNZ-58	30X15	सांगानेर रोड़, मानसरोवर आरोबी के पास, आरोबी के पश्चिम और रेलवे बाउंड्रीवाल के पास।	
6	SNZ-59	30X15	टॉक रोड़, सीतापुरा EPIP को जाने वाले रास्ते के उत्तरी कोने पर टॉक रोड़ की ओर देखते हुये।	
7	SNZ-61	30X15	महल रोड़, बालाजी टॉवर के खाली भूखण्ड के सामने।	NEW SITE
8	SNZ-62	16X8	टॉक रोड़, पिंजरापोल गोशाला के गेट के पास फुटपाथ पर।	NEW SITE
9	SNZ-63	16X8	टॉक रोड़, पिंजरापोल गोशाला के सामने।	NEW SITE
10	SNZ-64	16X8	महल रोड़, एस.के.आई.टी. जाने वाले मार्ग के दाईं ओर जीतू पान भण्डार के पास।	NEW SITE
11	SNZ-65	16X8	महल रोड़, एस.के.आई.टी. जाने वाले मार्ग के बाईं ओर डेयरी बूथ के पास फुटपाथ पर।	NEW SITE

यूनिपोल साईट
हवामहल (पूर्व) जौन दिसम्बर 2017
नीलामी की सूची

1	HMZ (E)- 03	16X8	दिल्ली बाईपास रोड़ ट्रांसपोर्ट नगर के सामने।	
2	HMZ(E)-8	16X8	दिल्ली बाईपास रोड़, पुरानी चुंगी सर्किल के दक्षिणी पश्चिमी कोने पर।	
3	HMZ(E)-16	30X15	आगरा रोड़ कब्रिस्तान की दीवार के समानांतर कब्रिस्तान गेट के पश्चिम की ओर गोविंद मार्ग देखते हुये।	
4	HMZ(E)-19	30X15	दिल्ली बाईपास रोड़, आर.ए.सी. बटालियन 5 को जाने वाले रास्ते के पास, डेयरी बूथ के पास।	NEW SITE



यूनिपोल साईट
आमेर जॉन दिसम्बर 2017
नीलामी की सूची

1	AMZ-01	16x8	आमेर रोड, शहीद वनकर्मी उद्यान के सामने पार्किंग के पास फुटपाथ पर।	
---	--------	------	--	--

L



कार्यालय नगर निगम जयपुर
4 निर्मित यूनिपोल "20x10"
दिसम्बर 2017
नीलामी की सूची

क्र. सं.	स्थान
1	आमेर कुण्डा।
2	पानी पेच।
3	अम्बाबाड़ी, विधाधर नगर।
4	रामगढ़ मोड़।